न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 7 / 2019 (उदयपुर डिक्री)

1. नाथूसिंह पिता किशोरसिंह राजपूत, निवासी हवाला खुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. वेणीसिंह पिता किशोरसिंह राजपूत, निवासी हवाला खुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती कसनीबाई पुत्री किशोरसिंह राजपूत, निवासी हवाला खुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती लहरीबाई पुत्री किशोरसिंह राजपूत, निवासी हवाला खुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती भंवरीबाई पुत्री किशोरसिंह राजपूत, निवासी हवाला खुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती पन्नाबाई पुत्री किशोरसिंह राजपूत, निवासी हवाला खुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. नगर विकास प्रन्यास जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा
दिनांक 23.01.2019, प्र.सं. 518/13

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री आलोक जैन अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री कमलेष चौहान राजकीय अभिभाषक
3– श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक न.वि.प्र.

———::———

निर्णय **दिनांक 09–11–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल हाल अपीलान्टगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2020.12.14 13:15:07 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बड़ी में वादीगण के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की साबिक आराजी नंबर 1394/2 रकबा 5 बीघा व 1401/2 रकबा सवा 4 बीघा कुल किता 2 रकबा सवा नौ बीघा भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर 1630 रकबा 0.9500 हैक्टर एवं 1631 से 1635, 1640 से 1642 बने हैं। उक्त आराजियात वादीगण के पिता किशोरसिंह पिता अमरसिंह राजपूत के खातेदारी में जमाबन्दी संवत 2031 से 2034 में दर्ज थी, किन्तु सेटलमेन्ट के दौरान गलती से उक्त आराजियात बिलानाम दर्ज कर दी गयी है, जबकि कब्जा आज भी वादीगण का ही चला आ रहा है। अतः वादीगण को वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा भी खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया एवं विशेष कथन में अंकित किया कि वर्तमान में आराजी नंबर 1630 रकबा 0.9500 हैक्टर श्रीमती आभा, श्रीमती दीप्ती, श्रीमती सुलोचना, श्रीमती शहनाज के नाम दर्ज है, किन्तु इन्हें प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 23–01–2019 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 05–03–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेष चौहान उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 नगर विकास प्रन्यास की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वक्त बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया है, क्योंकि यदि वे साबिक आराजी नंबर 1401 के कुल रकबे का हाल परिवर्तित नंबर व रकबे की गणना करते तो स्पष्ट हो जाता कि उक्त रकबे में ज्यादा भूमि अपीलान्ट की है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड का अवलोकन नहीं किया है। साबिक आराजी नंबर 1394/2 के नये नंबर 1630 बने जो अपीलान्ट के खाते में दर्ज हो गये, परन्तु साबिक आराजी नंबर 1401/2 के नये नंबर सेटलमेन्ट वालों ने बनाये ही नहीं व इसका पुराना

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.12.14 13:15:07 IST
Reason: SelfAttested

रकबा सवा चार बीघा से हाल नंबर 1631 से 1635 व 1640 से 1642 को 1401 मीन से बनना बता दिया, जबकि साबिक व हाल नक्शा मिलान से यह स्पष्ट है कि उक्त नंबर 1401 मीन के नहीं होकर 1401/2 से बने हैं। साबिक आराजी नंबर 1401 का कुल रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा था, जिसमें 1 बीघा भूमि चतरभुज, नाथू, भेरा, रामा पिता नन्दा को आवंटित हुई, जिसका नंबर 1401/1 डाला गया व किशोरसिंह को 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि दी गयी, जिसका नंबर 1401/2 डाला गया। इस प्रकार साबिक आराजी नंबर 1401 का कुल रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा में से दोनों को कुल 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि आवंटित हुई तथा शेष रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा रहा। सेटलमेन्ट वालो ने इसी रकबे का नंबर 1401 मी. रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा का हाल नंबर 1631 से 1648 बनाया व कुल रकबा 2 बीघा के करीब बना दिया, जबकि 7 बीघा 2 बिस्वा ही बनना चाहिए था तथा जो अधिक रकबा बना है वो अपीलान्ट की भूमि है जो साबिक व हाल नक्शे से साबित है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा मौजा बड़ी के हाल आराजी नंबर 1631 से 1635 व 1640 से 1642 कुल किता 8 रकबा 0.8700 हैक्टर का अपीलान्ट को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड से रेस्पोन्डेन्ट का नाम हटाया जाकर रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि विवादित आराजियात बिलानाम सरकार दर्ज थी जो नगर विकास प्रन्यास को आवंटित होने से नगर विकास प्रन्यास की खातेदारी में दर्ज है। साबिक आराजी नंबर 1401 मी. अपीलान्टगण के पिता के खाते में दर्ज नहीं थी ऐसी स्थिति में उससे बनने वाले नये नंबरों बाबत अपीलान्टगण को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट/वादीगण ने अपने वाद में साबिक आराजी नंबर 1394/2 रकबा 5 बीघा व 1401/2 रकबा सवा 4 बीघा कुल किता 2 रकबा सवा नौ बीघा भूमि से हाल आराजी नंबर 1630 रकबा 0.9500 हैक्टर एवं 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1640, 1641 व 1642 बनता बताते हुए इस हाल आराजी नंबरों की खातेदारी चाही है, जबकि मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नंबर 1394/2 रकबा 5 बीघा व 1401/2 रकबा सवा 4 बीघा से हाल आराजी

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2020.12.14 13:15:07 IST
Reason: SelfAttested

नंबर 1630 रकबा 0.9500 हैक्टर बनकर यह भूमि अपीलान्ट/वादीगण के पूर्वाधिकारी के नाम दर्ज है, किन्तु जहां तक हाल आराजी नंबर 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1640, 1641 व 1642 का प्रश्न है, मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नंबर 1401 मी. से बने हैं जो कभी भी अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारी के नाम दर्ज नहीं रहें हैं। हाल आराजी नंबर 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1640, 1641 व 1642 जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 में बिलानाम सरकार दर्ज हैं जो नगर विकास प्रन्यास को आवंटित होने से वर्तमान में नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उभयपक्षों को सुनकर उपरोक्त बिन्दुओं का विवेचन करते हुए साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–01–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 09–11–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2020.12.14 13:15:07 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

नाथूसिंह पिता किशोरसिंह राजपूत, निवासी हवाला खुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा व अन्य**

अपील नं.....**7 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **गिर्वा** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**23**.....माह.....**01**.....**2019**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**....माह.....**11**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री आलोक जैन**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री नरपतसिंह चुण्डावत** .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–01–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**11**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.12.14 13:15:07 IST
Reason: SelfAttested